न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

दिनेश कुमार पुत्र जयचन्द जी अग्रवाल, उम्र 62 वर्ष, जाति- अग्रवाल, निवासी- धोबी गली, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरोही
(मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)
फर्मः- निर्मल कमल इण्डस्ट्रीज, जी-1-96 अम्बाजी रिको इण्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्याः 15/2019

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी दिनेश कुमार

-: निर्णय :- दिनांक 27 अगस्त, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 17.3.2019 को समय 2.00 पी.एम. पर फर्म निर्मल कमल इण्डस्ट्रीज, जी-1-96 अम्बाजी रिको इण्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति दिनेश कुमार पुत्र जयचन्द जी अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- धोबी गली, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरोही है एवं उक्त फर्म निर्मल कमल इण्डस्ट्रीज, जी-1-96 अम्बाजी रिको इण्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़ में मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु Mustard Oil (Nirmal Brand) का निर्माण एवं विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की व दुकान के अन्दर गत्ते के डिब्बों में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) की 820 पैक्ड प्लास्टिक बोतलों (प्रत्येक 500 ML) में से Mustard Oil (Nirmal Brand) की 4 पैक्ड बोतले (प्रत्येक 500 ML) जांच हेतु खरीदी एवं उसकी कीमत रुपये 280/- अदा की तथा खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं

.....पेज दो पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद बिल व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-916 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की. जिसे खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छापं अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूनें के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.3.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 17.3.2019 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) का नमूना S-916 अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप पाया गया है। जांच रिपोर्ट की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार को भी भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,, सिरोही) को प्रस्तुत करे, लेकिन दिनेश कुमार ने पुनः जांच का आवेदन

.....पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

प्रस्तुत नही किया। प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को पेश कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। अभियुक्त द्वारा अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 21.8.2019 को प्रतिवादी दिनेश कुमार ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि दिनांक 17.3.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जो सरसों तेल निर्मल ब्राण्ड जांच हेतु लिया गया था, जो जांच रिपोर्ट के अनुसार Sub-standard एवं मिथ्याछाप पाया गया है। मै किसानों से एवं व्यापारियों से रायडा लेकर सरसों तेल का निर्माण व पैकिंग करता था। इसमें मैनें मेरी ओर से कोई मिलावट नही की है जिस समय मैनें लेबल छपवाये थे उस समय लेबल पर लाईसेन्स नम्बर लगाना अनिवार्य नही था, इसलिये बाद में भूलवश छपवाया जाना रह गया। यह मेरी प्रथम भूल है एवं चूंकि शुद्ध तेल बनाकर विपणन करने से पडता उँचा रहने से मैनें तेल बनाने एवं बेचने का कार्य पूर्ण रुप से बंद कर दिया है, इसलिये मेरी गलती को माफ करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी दिनेश कुमार द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 21.8.2019 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी दिनेश कुमार ने यह अनुरोध किया कि यह उसकी पहली गलती है तथा अब उसने तेल बनाने व बेचने का कार्य पूर्ण रुप से बन्द कर दिया है, इसलिये उसकी प्रथम गलती को दृष्टिगत रखते हुए गलती माफ करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.3.2019 को समय 2.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म निर्मल कमल इण्डस्ट्रीज, जी-1-96 अम्बाजी रिको इण्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर गये। उक्त निर्मल कमल इण्डस्ट्रीज, जी-1-96 अम्बाजी रिको इण्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़ में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से दिनेश कुमार पुत्र जयचन्द जी अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- धोबी गली, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जन के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ

....पेज चार पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Mustard Oil (Nirmal Brand) का निर्माण एवं विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त निर्मल कमल इण्डस्ट्रीज के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री सुरेश कोली, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता दिनेश कुमार को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त निर्मल कमल इण्डस्ट्रीज के निरीक्षण के दौरान गते के डिब्बों में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) की 820 पैक्ड प्लास्टिक बोतलें (प्रत्येक 500ML) में से खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) की 4 पैक्ड बोतले (प्रत्येक 500 ML) जांच हेतु खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 280/- (अक्षरे रुपये दो सौ अस्सी मात्र) रुपये नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता व खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार एवं उक्त गवाह तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-916, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-916 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म निर्मल कमल इण्डस्ट्रीज, जी-1-96 अम्बाजी रिको इण्डस्टीज एरिया, आबूरोड़, जिला-सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार से Mustard Oil (Nirmal Brand) का नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचंकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील

.....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.3.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 17.3.2019 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) का नमूना संख्या S-916 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./268/Act/2019/321 दिनांक 05.4.2019 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म निर्मल कमल इण्डस्ट्रीज, जी-1-96 अम्बाजी रिको इण्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) का नमूना अमानक (Sub-standard) एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप होना पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट दिनांक 05.4.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) के पैकिंग लेबल पर निर्माता फर्म ने FSSAI License संख्या अंकित नही की है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम संख्या 2.2.1(7) का विरोधाभाष है। साथ ही, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट दिनांक 05.4.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) के गुणवत्ता विशेषताओं के बिन्दु "Butyro-refractometer reading at 40 डिग्री सेन्टीग्रेट" की मात्रा का परिणाम निर्धारित मानक 58.0 to 60.5 के स्थान पर 60.60 पाया गया है तथा गुणवत्ता विशेषता बिन्दु Iodine value की मात्रा का परिणाम निर्धारित मानक 96.0 to 112.0 के स्थान पर 113.98 पाया गया है

चूंकि प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उक्त खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) का प्रतिवादी अभियुक्त दिनेश कुमार स्वयं निर्माता एवं विक्रेता है तथा प्रतिवादी अभियुक्त दिनेश कुमार ने अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Nirmal Brand) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के

.....पेज छ: पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

F.S.S.Act Case No. 15/2019

द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 व 52 के तहत प्रतिवादी दिनेश कुमार पुत्र जयचन्द जी अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- धोबी गली, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, निर्मल कमल इण्डस्ट्रीज, जी-1-96 अम्बाजी रिको इण्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 1,00,000/- (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी दिनेश कुमार पुत्र जयचन्द जी अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- धोबी गली, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही